न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः 65/2009 (जीसीएमएस नं. 2009/00003)

1. बृजमोहन (फौत)
   - 1/1. रामरतन,
   - 1/2. शिवरतन पुत्रान स्व. बृजमोहन,
   - 1/3. श्रीमती उमादेवी पत्नी स्व. बृजमोहन,
   - 1/4. सुमन पुत्री स्व. बृजमोहन, समस्त जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम ईटावा भोपजी तहसील चौंमू जिला जयपुर।
2. रामस्वरूप (फौत)
   - 2/1. श्रीमती गीतादेवी पत्नी स्व. रामस्वरूप,
   - 2/2. कृष्ण गोपाल पुत्र स्व. रामस्वरूप, समस्त जाति ब्राहाम्ण निवासी ईटावा भोजी तहसील चौंमू जिला जयपुर

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. तुलसीराम पुत्र सुन्दरलाल जैन जाति महाजन निवासी ए–285 तारानगर, झोटवाडा जयपुर।
2. सुगनचन्द पुत्र सुन्दरलाल जैन जाति महाजन निवासी अशोका अपार्टमेन्ट 22 गोदाम जयपुर।
3. गिरधारी लाल पुत्र सुन्दरलाल जैन जाति महाजन निवासी ग्राम ईटावा भोपजी तहसील चौंमू जिला जयपुर हाल निवासी प्लॉट नम्बर 43, शिल्प कॉलोनी बजरंगदास जी की बगीची झोटवाड़ा जयपुर।
4. गुलाबचन्द उर्फ गुल्लराम पुत्र चिमना जाति जाट निवासी ग्राम ईटावा भोपी तहसील चौंमू जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौंमू तहसील चौंमू जिला जयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. श्री बनवारी लाल शर्मा एडवाकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री सुशील कुमार यादव, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 28.12.2021

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौंमू जिला जयपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2009 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट्स ने अपीलान्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही बनाकर बाला–बाला निर्णय फरमवाने पर आमादा थे, अपीलान्ट उक्त खसरा नम्बर के अडवा भूमि के रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है इसलिए अपीलान्ट ने एक आवेदन बाबत पक्षकार बनाने का अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया जो दिनांक 02.05.2007 को स्वीकार किया तत्पश्चात पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र हेतु नियत थी लेकिन बिना

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलान्ट को सुनवाई का एवं जवाबदही का अवसर दिये ही अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाना निर्णय पारित किया है जो विधि–विधान एवं पत्रावली तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ने एक आवेदन दिनांक 13.02.2008 को यह कहते हुये प्रस्तुत किया कि उक्त प्रकरण की तहसीलदार रिपोर्ट आनी शेष है, रिपोर्ट तहसीलदार आने के पश्चात् ही अपीलान्ट नकल जवाब प्रस्तुत करना चाहता है क्योंकि अपीलान्ट को अपना जवाब पेश करने में सुगमता होगी जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने शामिल मिसल किया गया लेकिन आदेशिका में उक्त प्रार्थना पत्र का कोई हवाला नही दिया तत्पश्चात् दिनांक 16.02.2009 को तहसीलदार रिपोर्ट न्यायालय को प्राप्त हुई जिस रिपोर्ट को भी अधीनस्थ न्यायालय ने आदेशिका में कही दर्ज नही किया तथा न ही शामिल मिसल किया और अधीनस्थ न्यायालय ने आवश्यक जल्दबाजी दिखाते हुये दिनांक 17.02.2009 को अभिभाषक पक्षकारान की बहस सुन आदेश में दिनांक 24.02.2009 नियत करदी जबकि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 13.02.2008 पर कोई निर्णय ही पारित नही किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट को लाभ पहूँचाने की गरज से जो विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है वह किसी भी रूप में वैधानिक नही होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत केवल अभिलेख में हुई त्रुटियॉ ही दुरूस्ती योग्य होती है चूँकि राजस्व नक्शा अधिकार अभिलेख की श्रेणी में नही आता है इसलिये प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चलने योग्य नही था किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु को नजरअन्दाज कर अपीलाधीन निर्णय देने में भयंकर कानूनी भूल की है। उन्होने आगे कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 778 रकबा 0.06 हैक्टयर ग्राम ईटावा भोपजी के हाल खसरा नम्बर 1507 रकबा 0.06 हैक्टयर है। अतः उक्त भूमि का रकबा पूर्व से न कम किया गया है और न ही बढाया गया है बल्कि मौका स्थिति यथावत है। मौके पर स्थित पूर्व की भांति वर्तमान राजस्व नक्शे के अनुसार सही है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट तुलसीराम, सुगनचन्द पुत्रान सुन्दरलाल ने रेस्पाडेन्ट संख्या 3 के खसरा नम्बर 1507 जिसका कि रेस्पोडेन्ट संख्या तीन 1/3 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार है को सहमति से बंटवारा करवाने का कहकर खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिऐ व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा बंटवारा हेतु किये गये खाली कागजों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कतई गलत आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम बाबत नक्शा दुरूस्ती पेश किया था जबकि भूमि गत खसरा नम्बर 778 जिसके बने हाल खसरा नम्बर 1507

P.T.O.

राजस्व अपील प्राधिकारी / संभागीय आयुक्त ... जयपुर

का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस नये–पुराने दोनों एकदम सही है इनमें कुछ भी भिन्नता नही है, ना ही खसरा नम्बर 1507, 1503, 1502 के राजस्व नक्शे में किसी प्रकार की कोई भिन्नता है। उन्होने आगे कथन किया है कि तुलसीराम ने उक्त भूमि में निहित अपने हक–हिस्से की भूमि को दीगरान व्यक्तियों को बिना मौके पर कब्जा संभलाये बेचान कर दिया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपरोक्त समस्त तथ्य उजागर करते हुए प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 16.02.2009 का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्राप्त होने बाबत आदेशिका में कही हवाला नही ही तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का प्रार्थना पत्र धारा 136 विड्रो हेतु निवेदन किया गया है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के प्रार्थना पत्र को भी गुणावगुण पर निस्तारित नही किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2009 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष पक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

संभागीय आयुक्त
जयपुर